

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10022 / १९०७

दिनांक :-
19-07-


कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री राजेन्द्र कुमार दिवाच [लिंक न. 10022] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, राजसमंद - [10684] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवका (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 23/10/2017 से 27/10/2017 तक 5 दिवस(चिकित्सा प्रमाण-प्रत्र के आधार पर)

कुल 5 दिवस

उक्त कुल 5 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री राजेन्द्र कुमार दिवाच की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10022 / १९०७

दिनांक :-
19-07-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, राजस्व विभाग, राजसमंद
2. कोषाधिकारी राजसमंद
3. श्री /श्रीमती / सुश्री राजेन्द्र कुमार दिवाच [10022] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग राजसमंद
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)